[illegible] - [illegible]　　　　72/2022

दिनांक	आज्ञा पत्र
19.7.24	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible]

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 77 / 2022

1 बनवारीलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र रामूराम
2 बीरबल सिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र रामूराम
3 रणवीर सिंह उम्र 53 साल पुत्र रामूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण बीदसर तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.
।

अपीलांट

बनाम

1 शिवचन्द उम्र 64 वर्ष पुत्र रामूराम
2 बलदेव सिंह उम्र 62 वर्ष पुत्र रामूराम
3 जवाहरलाल उम्र 57 वर्ष पुत्र रामूराम
4 पतासी उम्र 87 वर्ष पत्नी रामूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बीदसर तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।
5 मनकोरी उम्र 57 साल पुत्री रामूराम जाति जाट निवासिनी ग्राम बीदसर हाल आबाद बाजियों की ढाणी तन पिपराली तहसील व जिला सीकर।
6 अनिल उम्र 26 वर्ष पुत्र सावित्री
7 रोहिताश उम्र 27 वर्ष पुत्र सावित्री
8 सुमन उम्र 30 वर्ष पुत्री सावित्री
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मांडासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
9 संतोष उम्र 40 वर्ष पुत्री लूणाराम
10 संजू देवी उम्र 41 वर्ष पत्नी महेन्द्र
11 रूचिका उम्र 19 वर्ष पुत्री महेन्द्र

राजस्व अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 रितिका उम्र 21 वर्ष पुत्री महेन्द्र
13 राकेश उम्र 51 वर्ष पुत्र लूणाराम
14 कमला उम्र 50 वर्ष पत्नी राजेन्द्र
15 मनोज उम्र 35 वर्ष पुत्र राजेन्द्र
16 नरेन्द्र उम्र 30 वर्ष पुत्र राजेन्द्र
17 सुरेन्द्र उम्र 49 वर्ष पुत्र लूणाराम
18 कविता उम्र 23 वर्ष पुत्री भंवरलाल
19 तनिषा उम्र 25 वर्ष पुत्री भंवरलाल
20 निशा उम्र 19 वर्ष पुत्री भंवरलाल
21 प्रियांशु उम्र 21 वर्ष पुत्र भंवरलाल
22 बबीता कुमारी उम्र 26 वर्ष पुत्री भंवरलाल
23 ललिता कुमार उम्र 30 वर्ष पुत्री भंवरलाल
24 सावित्री उम्र 50 वर्ष पत्नी भंवरलाल
25 नथूराम उम्र 65 वर्ष पुत्र मोहनराम
26 राजूराम उम्र 58 वर्ष पुत्र मोहनराम
27 गीता देवी उम्र 56 वर्ष पत्नी भागीरथ
28 सुनीता देवी उम्र 26 वर्ष पुत्री भागीरथ
29 सुनील उम्र 28 वर्ष पुत्र भागीरथ
30 अनिल उम्र 24 वर्ष पुत्र भागीरथ
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बीदसर तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.।
31 उप पंजीयक लक्षमणगढ़ सीकर।
32 तहसीलदार लक्षमणगढ़ सीकर।

रेस्पोडेंट

राजस्व अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध डिक्री एवं निर्णय दिनांक
31.05.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़
जिला सीकर राज. पीठासीन अधिकारी डॉ. कुलराज मीणा
आरएएस दावा संख्या 09/2020 बउनवानी बनवारीलाल
आदि बनाम शिवचन्द आदि दावा बाबत उद्घोषणा
व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188
आरटीएक्ट 1955 (जिसे आदेश 07 नियम 11
सीपीसी का अवलम्ब लेकर खारित किया है।)

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामकरण जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 19.7.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा 09/2020 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 306, 307, 308 वाके ग्राम बीदसर तहसील लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.03.2022 को बहस सुनने के पश्चात आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आवेदन पर बहस पुनः सुने बिना ही दिनांक 03.05.2021 को चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित कर दी जबकि बहस सुनने के 30 दिवस में निर्णय किया जाने का सीपीसी में आज्ञापक कानूनी प्रावधान है जिसकी पालना नहीं करके मनमाना निर्णय पारित कर अपीलान्टस/वादीगण के वाद पत्र को खारिज किया है जबकि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में वाद पत्र को खारिज (**Dismissal of Plaint**) किया जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है बल्कि वाद पत्र को नामंजूर (**Reject of Plaint**) कानूनी प्रावधान है परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस/वादीगण के वाद पत्र को नामंजूर नहीं करके खारिज किया है जिसका विधि में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण भी चुनौतीग्रसत डिकी एवं निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है। यदि किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना यदि कोई नामान्तकरण होता है तो वह प्रारम्भ से ही अवैध शून्य एवं प्रभावहीन होता है इस परिपेक्ष्य में नामान्तकरण संख्या 40 का अवलोकन किया जावे तो उक्त नामान्तकरण सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना दर्ज एवं स्वीकृत है जो कि प्रारम्भ से ही अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है जिसके आधार पर 'मोहन पुत्र पन्ना' नामक व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे तथा नामान्तकरण प्रकिया एक फिसकल प्रोसिडिंग होती है जिसके आधार पर खातेदारी अधिकारों का निर्धारण नही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

होता है बल्कि खातेदारी अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद में ही होता है वह भी जवाबदावा आने के पश्चात विवाधक कायम होकर साक्ष्य आने पर फिर भी विचारण न्यायालय ने वाद पत्र को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने अंत में आदेश पारित किया उसमें वाद कारण स्पष्ट नहीं होने एवं विधि द्वारा वर्जित होने के कारण वाद पत्र को खारिज करने का आदेश पारित किया है जबकि वाद कारण का अंकन वाद पत्र में है उक्त वाद कारण स्पष्ट है या अस्पष्ट है यह विधि का प्रश्न नहीं होकर तथ्य का प्रश्न है जो कि बाद साक्ष्य निर्णित किया जाने का कानूनी प्रावधान है आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों में यह स्पष्ट है कि 'जहां वाद वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है उस स्थिति में वाद पत्र को नामंजूर किया जाता है जबकि वाद पत्र का अवलोकन किया जावे तो वाद के तथ्यों से वाद हेतुक प्रकट है तथा वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित नहीं है। इसलिए चुनौतीग्रस्त डिक्री एवं निर्णय अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में डीएनजे 2015 (एससी) पेज 242, डीएनजे 2014 (एससी) पेज 224, डीएनजे 2015(2) राज. पेज 503, डीएनजे 2014 (2) राज. पेज 712, डीएनजे 2013(4) राज पेज 1743, डीएनजे 2013(3) राज. पेज 1219, डीएनजे 2019 एससी पेज 115 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में मुख्य रूप से जो तर्क प्रस्तुत किये गये है उनमें यह आपत्ति है कि बहस के 30 दिवस के भीतर आदेश पारित किया जाता है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में विलम्ब कारित हुआ है माननीय न्यायालय के द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 पर पुनः बहस सुनकर अपना निर्णय व डिक्री पारित की गयी इस प्रकार अपीलान्ट की यह आपत्ति कोई आधार नहीं रखती है तथा साथ ही अपील में निर्णय से निष्कर्ष नहीं होने का कथन किया है जबकि विचारण न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में विधि का समूचित विश्लेषण कर तथा प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण कर विधि अनुसार निर्णय पारित किया है

तथा कारण व आधार अंकित कर प्रार्थना–पत्र पर समूचित विश्लेषण किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में यह भी कथन किया गया है कि वादकारण के सम्बंध में विचारण न्यायालय के द्वारा समूचित विश्लेषण नहीं किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट की स्पष्ट रूप से आपति थी नामांतकरण संख्या 40 सन् 1960 में भरा गया जो तथ्य एक स्वीकृति है तथा वाद सन् 2020 में प्रस्तुत हुआ यह भी एक स्वीकृति है तो फिर वादी/अपीलान्ट को इतने लम्बे अंतराल के बाद कैसे वादकारण उत्पन्न हो गया इसका कोई स्पष्टीकरण वादी/अपीलान्ट के द्वारा अपने वाद–पत्र में अंकित नहीं किया गया तथा साथ ही आवेदन के जवाब में और लिखित बहस में भी प्रकट नहीं किया गया है जिससे विचारण न्यायालय संतुष्ट हो सके जहां तक दफा 19 के सम्बन्ध में प्रश्न है जो विधि की स्पष्ट स्थिति है कि दफा 19 के तहत जिन खातेदारों को खातेदारी अधिकार अर्जित है उनके खातेदारी अधिकारों को न तो अपास्त किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है उक्त दफा 19 के तहत नामांतरण संख्या 40 समक्ष अधिकारी के द्वारा विधिक अधिकारों के तहत शशक्त प्राधिकृत आधार पर स्वीकृत किया गया है और अब यह प्रश्न उठाना कि उक्त नामांतरण प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है इस सम्बन्ध में पत्रावली में प्रस्तुत नामांतरण संख्या 40 का अवलोकन किया जाना उचित व न्यायसंगत है। अपीलान्ट/वादी के द्वारा अपनी अपील को रंगत देने की गरज से नामांतरण संख्या 40 को प्रारंभतः शून्य बताकर बिना विधिक अधिकारों के झूठे तथ्यों का अंकन किया है यह स्वीकृत स्थिति है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में निष्पादित और पंजीकृत विक्रय–पत्र को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। अपील में अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि आदेश 07 नियम 11 के तहत वाद को नामंजुर किया जाता है लेकिन प्रस्तुत वाद को माननीय न्यायालय ने विधि के अनुसार वर्जित होना मान्य किया है इसलिये वाद को स्पष्ट रूप से विधि द्वारा वर्जित बताते हुए खारिज किया है। इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील में जिन आधारों के अनुसार अपील प्रस्तुत की गयी है उन आधारों में विधि का कोई बल नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

है मात्र गलत और झूठे तथ्यों का समावेश कर अपील प्रस्तुत की गयी है जो सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम बीदसर तहसील लक्षमणगढ़ की भूमि गत खसरा नम्बर 56 हाल खसरा नम्बर 306, 307, 308 के संदर्भ में घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से यह विवेचन करते हुए वादी का वाद खारिज किया है कि दफा 19 के तहत प्राप्त खातेदारी को चुनौती नहीं दी जा सकती है एवं विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना वाद नहीं चल सकता है। विचारण न्यायालय ने इस विवेचन के आधार पर वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर